5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R - 3181 - II/13

सरदार पिता इब्राहिम जाति नायता

निवासी ग्राम सेजवाया तह0 व जिला धार

.................निगरानीकर्ता

बनाम

1— रईस पिता हाजी अकबर पटेल जाति नायता

2— गोविंद पिता मांगीलाल जाति सुतार

दोनो निवासी ग्राम पानखेडी (सेजवाया) तह0 व जिला धार

............................विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भू0रा0स0 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से विनम्र अर्ज है कि ग्राम सेजवाया तह0 व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 107 रकबा 1.045 हैक्टर जिसमें रईस जिस रकबे पर नाम चाहता है और जिसके थ्रू हक कहता है और प्रपत्र कहता है हमे हक कायदे से हो गये है निगरानीकर्ता को हो गये है ऐसी दशा में अपने मुख्त्यार से अपने रिश्तेदार से जो मुख्त्यार ना होते हुए कोई लिखापढी है तो वह व्यर्थ है इस बाबद दिवानी दावा भी पूर्व से पेडिंग है माननीय राजस्व मण्डल के न्याय उदाहरण 2012 राजस्व निर्णय पेज 316 में बताया है कि दीवानी दावा चल रहा है स्वत्व का प्रश्न पेडिंग है तो बार बार अदला बदली और बार बार अदला बदली ना करना पडते खर्च से बच सके अदालत का किमती वक्त जाया ना हो और कार्यवाही रोक देना चाहिए। मामला जब रईस का अर्थहिन दिखा कोई सफलता नही दिखी तो स्वयं रईस ने तहसीलदार महोदय तहसीलदार के अधिष्ठाता के यहां प्रकरण 8.04.2013 को अपास्त करा लिया जो राजस्व प्र.क्रमांक/7/2012—13/अ—6अ पर कायम था पुनः मेरी बिना मोजुदगी में बिना सूचना दिये 06.05.2013 को कार्यवाही प्रारंभ कर दी जो आज्ञा दिनांक 06.05.

सरदार

02

[illegible] x [illegible]

R 3181-II/13 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि... के हस्ताक्षर
16-12.2015	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा पक्षकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। [signature] अध्यक्ष	No instructions [signature] अजय श्रीवास्तव Adv 16/12/2015